भाग – I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जून, 2017

संख्या लैज. 7/2017.– दि हरियाणा रोड़ इंफ्रास्ट्रकचर प्रॉटेकशन ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 7 जून, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2017
राज्य में सड़क अवसंरचना के दुरूपयोग, नुकसान,
अप्राधिकृत उपयोग तथा अतिक्रमण को
रोकने के लिए और उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक मामलों
के लिए उपबंध करने हेतु
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का अधीक्षण अभियन्ता ;

(ख) ''निर्माण'' से अभिप्राय है, किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी सामग्री से निर्मित घर, झोपड़ी, शैड या अन्य छतवाला ढांचा और इसमें दीवार, पक्की चिनाई का प्लेटफार्म, पक्की चिनाई की खाई या नाली भी शामिल होगी;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का उप मण्डल अभियन्ता ;

(घ) ''पुष्टिकारी प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का कार्यकारी अभियन्ता ;

(ड.) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(च) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और इसमें शामिल है विकास प्राधिकरण जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड इत्यादि ;

(छ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ज) ''सड़क'' से अभिप्राय है, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सड़क किन्तु इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 48) के अधीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होंगे ;

(झ) ''सड़क अवसंरचना'' से अभिप्राय है, परिवहन या यातायात के लिए राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, कोई अन्य सड़क, पथ या गली किन्तु इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 48) के अधीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होंगे और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(i) अर्जित सड़क भूमि विस्तार ;

(ii) सड़कों और उनकी संरचनाओं की सभी किस्में, जैसे सड़क पटरी, स्कन्ध, पुश्ता–दीवार, ब्रेस्ट दीवार, टो–दीवार, क्रास–निकास, किनारा, सड़क की ओर नाली, सड़क जॅक्शन, मध्यम, स्पीड ब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप, गली प्रकाश, यातायात बत्ती इत्यादि ;

(iii) सड़क परिवहन और यातायात प्रणाली की प्रासंगिक कोई संरचना ;

(iv) पहुंचमार्ग, समानान्तर दीवार, विंग दीवार, संरक्षण कार्य और सहबद्ध संरचना सहित पुल ;

(v) अदला–बदली, ग्रेड पृथक्कारक, विभाजक और अन्य प्रासंगिक संरचनाओं सहित एक्सप्रेसवे ;

(vi) सड़क फर्नीचर जैसे पैरापिटस, रेलिंगज, किनारे का पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बेंचिज, लहसुनिया, परावर्तक (रिफ्लेक्टर), पेडिस्टल, सूचनापट्ट, बैरिकेड और क्रैश बैरियर ;

(vii) सड़क उपरिपुल, फ्लाईओवर और भूमिगत मार्ग तथा उनकी सहबद्ध संरचना ;

(viii) सड़क की ओर पार्किंग क्षेत्र ;

(ix) सड़क की ओर पौधारोपण, नर्सरी, बाड़ और अन्य भू–दृश्य वस्तुएं ;

(x) टोल बूथ या प्लाजा ;

(xi) सुरंग और उनकी सहायक संरचना ;

(xii) रास्ते के किनारे सुख–सुविधाएं या संरचनाएं जैसे सरकारी भूमि पर सड़क के साथ–साथ अवस्थित वर्षा आश्रय, ले बाइज, बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क और खुले स्थान।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा लोक निर्माण विभाग संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः उक्त संहिता में दिया गया है।

प्रतिषिद्ध गतिविधियां।

3. इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित प्रतिषिद्ध गतिविधियां होंगी, अर्थात् :–

(i) सड़क अवसंरचना के अधीन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना ;

(ii) सड़क अवसंरचना पर या से कोई स्थायी, अस्थायी या चल संरचना का निर्माण करना ;

(iii) सड़क अवसंरचना पर पशु बांधने सहित वर्कशाप का परिनिर्माण करके और वाणिज्यिक गतिविधियां कार्यान्वित करके सड़क का दुरूपयोग करना ;

(iv) सड़क की ओर जल–निकास तथा क्रास जल–निकास प्रणाली में बाधा डालना या नुकसान पहुंचाना ;

(v) सड़क अवसंरचना की ओर जल, मलजल या गंदगी मोड़ना ;

(vi) सड़क अवसंरचना पर उत्खनित मिट्टी या मलबा या कोई अन्य सामग्री का ढेर लगाना या फेंकना ;

(vii) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना सड़क अवसंरचना को खोदना या नुकसान पहुंचना ;

(viii) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत हैंड पम्प, बोर वैल या पैट्रोल पम्प लगाना ;

(ix) पहुंच मार्ग, समानान्तर दीवार और विंग दीवार, पैरापिटस, रेलिंगज, प्रकाश प्रणाली, संरक्षण कार्यों, सुरंगों और उनकी आनुषंगिक संरचनाओं तथा अन्य संरचनाओं जैसे सड़क पटरियों, स्कन्धों, पुश्ता–दीवारों, ब्रेस्ट दीवारों, टो–दीवारों, क्रास–जल निकास और सड़क की ओर नालियों, सड़क जॅक्शनों, मध्यमों, स्पीड ब्रेकरों, रम्बल स्ट्रिपों, गली प्रकाश, यातायात बत्तियों, बैरिकेडों, क्रैश बैरियरों, सूचना पट्टों, किलोमीटर पत्थरों, निर्देश खम्भों, सीमा खम्भों, पंक्ति खम्भों, सड़क पहचान चिह्नित अवसंरचना, पेडिस्टलों, बैंचों, टोल बूथों या प्लाजा, मार्गस्थ सुख–सुविधाएं जैसे वर्षा आश्रयों, ले बाइज, बस लेनों, सार्वजनिक सुविधाओं, सड़क के साथ पार्कों और खुले स्थानों तथा सड़क परिवहन और सड़कों के रखरखाव को सुकर बनाने के लिए बने निर्माण या कोई अन्य संरचना सहित पुलों, सड़क उपरिपुलों, फ्लाईओवरों और भूमिगत मार्गों को नुकसान पहुंचाना या विरूपित करना ;

(x) सड़क अवसंरचना पर सड़क की ओर पौधारोपण, नर्सरियों, बाडों और अन्य भू–दृश्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना या उखाड़ना ;

(xi) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत होर्डिंगज प्रदर्शित करना ;

(xii) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत स्वागत द्वार, बन्दनवार इत्यादि का परिनिर्माण करना ;

(xiii) क्षेत्र में खनन के कारण सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना ;

(xiv) सड़क अवसंरचना पर किसी संरचना का परिनिर्माण या निर्माण करना ;

(xv) सड़क अवसंरचना पर मंदिर का परिनिर्माण या निर्माण करना ;

(xvi) कोई अन्य गतिविधि, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध गतिविधि के रूप में घोषित की गई है।

प्रतिषिद्ध गतिविधियों का अवधारण।

4. सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियां राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमि अभिलेखों के संदर्भ में अवधारित की जाएंगी।

सक्षम प्राधिकारी के कर्त्तव्य।

5. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि के घटित होने पर, सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध गतिविधि को तुरन्त रोकने के लिए व्यक्ति को निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा तथा जहां आवश्यक हो, सड़क अवसंरचना की स्थिति को उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापन के आदेश ऐसी अवधि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर करेगा और ऐसी अवधि तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को लिखित में स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा तथा प्रतिषिद्ध गतिविधि की घटना का अवस्थान, ऐसी गतिविधि का विस्तार और पहले से हुए या हो रहे नुकसान को स्केच के रूप में भी उपदर्शित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों की अनुपालना में असफलता की दशा में, सक्षम प्राधिकारी शास्ति जो पांच हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, के अतिरिक्त व्यक्ति की लागत पर स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस प्रकार उपगत व्यय भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीय होगा और सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध गतिविधि का भाग रूप बनने वाली सामग्री, मशीनरी, औज़ार, उपकरण इत्यादि को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जब्त करेगा।

(4) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा के अधीन कोई नोटिस जारी किए बिना सड़क पर अप्राधिकृत कब्जा हटाने की शक्ति होगी, यदि ऐसा अप्राधिकृत कब्जा–

(क) खुली हवा में या अस्थायी स्टाल, छतरी, बूथ या अस्थायी स्वरूप की दुकान के माध्यम से किसी पदार्थ या वस्तु को प्रदर्शित करने ;

(ख) निर्माण या परिनिर्माण, चाहे अस्थायी या स्थायी; या

(ग) अनधिकार प्रवेश या अतिक्रमण, जो किसी मशीन या अन्य यंत्र के उपयोग के बिना सहज हटाया जा सकता है,

के स्वरूप का है और ऐसा कब्जा हटाने में, सक्षम प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी, ऐसे हटाव के लिए आवश्यक युक्तियुक्त बल के प्रयोग द्वारा ऐसा कब्जा हटाने के लिए पुलिस, यदि आवश्यक हो, की सहायता मांग सकता है।

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन।

6. सक्षम प्राधिकारी उसके अधीनस्थ सहायक उप मण्डल अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता, जैसी भी स्थिति हो, को इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित अपनी सभी या किसी शक्ति और उसको समनुदेशित कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

आक्षेप दायर करना।

7. व्यथित व्यक्ति पुष्टिकारी प्राधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन दिन की अवधि के भीतर आक्षेप दायर कर सकता है और पुष्टिकारी प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के बाद और पांच दिन की अवधि के भीतर आख्यापक और सकारण आदेश के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करने या अपास्त करने के आदेश पारित करेगा।

अपील।

8. (1) पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा ग्रहण की जाएगी, यदि ऐसी अपील पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के पन्द्रह दिन के भीतर दायर की जाती है :

परन्तु अपील विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भी ग्रहण की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था :

परन्तु यह और कि अपीलकर्ता, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील दायर करते समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित पूर्वानुमानित पुनः स्थापन लागत जमा करवाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपील के दायर करने के पन्द्रह दिन के भीतर पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करने या अपास्त करने के आदेश पारित करेगा और वह अन्तिम होगा।

शास्तियां और प्रक्रिया।

9. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, किसी ऐसी अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है, तो अपराध करते समय इसके कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी या के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति अपने विरूद्ध कार्यवाही के लिए दायी होगा और तद्नुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को करने से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या कि अपराध का करना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के भाग पर किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और तद्नुसार दण्डनीय होगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय, और इसमें फर्म या अन्य व्यष्टि–संगम भी शामिल है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से अभिप्राय है, फर्म में कोई भागीदार।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे।

अन्य विभागों की सहायता मांगने की शक्ति।

10. यदि सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय है कि पुलिस, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग की सहायता इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है, तो वह सहायता मांग सकता है और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होगा।

सिविल न्यायालय की शक्तियां।

11. इस अधिनियम के अधीन कोई कृत्य करने के प्रयोजन के लिए पुष्टिकारी प्राधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी को वे सभी शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना तथा हाजिर करवाना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना आवश्यक होना; तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जा सकता है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

12. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

(2) सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरूद्ध किसी बात जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, द्वारा हुए या होने वाले सम्भाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

अधिकारिता का वर्जन।

13. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामले से सम्बन्धित किसी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने के लिए कोई अधिकारिता नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55419—L.R.—H.G.P., Chd.